This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 15 मार्च, 2024 / 25 फाल्गुन, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 12 मार्च, 2024

संख्याः एल0ए0सी0–ए.003 / 1 / 2023.––हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 34 की उप–धारा (1) के अधीन यथापेक्षित हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक

धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास नियम, 2023 के प्रारूप को, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए अधिसूचना संख्या एल0सी0डी0–ए0(3)–2 / 2019–लूज, तारीख 22–11–2023 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे तारीख 05 दिसम्बर, 2023 को राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुए है / हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 34 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.––**(1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) ''अधिनियम'' से, समय–समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्ररूप'' से, इन नियमों से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है;

(ग) ''नियम'' से, अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम अभिप्रेत है; और

(घ) ''धारा'' से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

(3) धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की सेवा की शर्तें.–(1) अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मंदिर) निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:––

(क) मुख्य आयुक्त (मंदिर) और मंदिर न्यासों के मध्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना

(ख) न्यासों का सामान्य निरीक्षण संचालित करना और मुख्य आयुक्त (मंदिर) को रिपोर्ट करना

(ग) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा वह उचित समझे या जैसा मुख्य आयुक्त (मंदिर) द्वारा अनुसूचित मंदिरों की प्रसुविधा हेतु वांछित हो मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना और ये मार्गदर्शक सिद्धान्त समस्त आयुक्त (मंदिर) पर आबद्धकर होंगे।

(2) संयुक्त आयुक्त (मंदिर) निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:––

(क) आयुक्त (मंदिर) द्वारा यथा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करना

(ख) न्यासों से संबंधित मामलों में आयुक्त (मंदिर) की सहायता करना; और

(ग) प्रत्येक मामले में आयुक्त (मंदिर) के अनुमोदन से भवनों, मार्गों, रास्तों, अग्नि–हाइड्रेंट आदि के रख–रखाव हेतु ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(3) सहायक आयुक्त (मंदिर) निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:–

(क) अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मंदिर) और आयुक्त (मंदिर) / संयुक्त आयुक्त (मंदिर) / मंदिर अधिकारियों / मंदिर न्यासों के मध्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना।

(ख) मंदिर न्यासों के समस्त धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं की देखभाल करना;

(ग) मंदिर न्यास से संबंधित विधिक मामलों में सहायता करना; और

(घ) समस्त संसदीय और विधान सभा प्रश्नों / मामलों, चाहे किसी भी स्वरूप के हों, में सहायता करना।

(4) धारा 6 (1) के अधीन अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टरों और धारा 6 (2) के अधीन तामील किए जाने वाले नोटिस का प्ररूप और रीति.––(1) प्रत्येक अनुसूचित मंदिर न्यास प्ररुप 'क' (भाग क से ज) में रजिस्टर तैयार और अनुरक्षित करेगा।

(2) आयुक्त (मंदिर) रजिस्टरों में प्ररुप 'क' (भाग क से ब) में समस्त प्रविष्टियों को सिद्ध करवाने और सत्यापित करवाने के लिए प्ररूप 'ख' में धारा 6 की उप–धारा के अधीन नोटिस जारी करेगा।

(5) धारा 7 के अधीन रजिस्टरों में प्रविष्टियों की समीक्षा और सत्यापन.––(1) धारा 7 (1) के अधीन आयुक्त (मंदिर) को प्रस्तुत सत्यापित विवरण के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे,––

(i) न्यासी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का उस प्रभाव का शपथ पत्र कि उसने उक्त दस्तावेज में यथावर्णित मदों की भौतिकतः जांच और सत्यापन कर दिया है;

(ii) उस प्रभाव की घोषणा कि नियम 4 के साथ पठित धारा 6 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में यथावर्णित स्थावर संपत्ति के समस्त हक–विलेख और दस्तावेज सही हैं; और

(iii) मूर्तियों के रंगीन फोटो और चित्र, प्राचीन या ऐतिहासिक अभिलेखों की विशिष्टियां या उसकी अभिरक्षा में कोई अन्य बहुमूल्य मदें।

(2) भौतिक सत्यापन के समय रजिस्टर में यथादर्शित अन्तर्वस्तुओं में किसी केर–फार की दशा में, न्यासी या उसका प्राधिकृत अभिकर्त्ता आयुक्त (मंदिर) को विधि के अधीन यथा अपेक्षित उसके द्वारा कृत्त कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा।

(3) सत्यापन प्रतिवर्ष प्रथम अप्रैल से प्रारंभ होगा और 30 जून तक पूर्ण किया जाएगा। सत्यापन के दौरान न्यासी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्टर में समस्त नवीनतम अधिग्रहण निगमित किए गए हैं।

(6) स्थावर सम्पत्ति पर अतिक्रमण या उसको क्षति की दशा में धारा 9 (1) के अधीन अपेक्षित कार्रवाई.––स्थावर सम्पत्ति पर अतिक्रमण या उसको किसी क्षति की दशा में, न्यासी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता विधि के अधीन अपेक्षित समस्त आवश्यक कदम उठाएगा तथा मामले की आयुक्त (मंदिर) को भी रिपोर्ट करेगा।

(7) धारा 12 के अधीन भूमि के अंतरण हेतु आवेदन.––विनिमय, विक्रय, बंधक या किसी भी अन्य रीति जो भी हो के द्वारा किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यासों के प्रयोजनार्थ संबंधित या दी गई या दान की गई स्थावर सम्पत्ति के अंतरण हेतु या ऐसी किसी सम्पत्ति के पट्टे के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन प्ररुप 'ग' में होगा।

(8) धारा 12 (3) के अधीन आयुक्त (मंदिर) के आदेश के प्रकाशन की रीति.––धारा 12 (3) के अधीन आयुक्त (मंदिर) द्वारा जारी आदेश की एक प्रति संबंधित न्यासी और प्रस्तावित अन्य संक्रामण को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी। इसे निम्नानुसार भी प्रकाशित किया जाएगा,–

(क) आदेश की प्रति को संबद्ध धार्मिक संस्था के सहजदृश्य नोटिस बोर्ड में या प्रवेश द्वार पर चिपकाना;

(ख) आदेश की प्रति को उस गांव या नगर के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाया जाएगा, जहां संपत्ति स्थित है। यदि वहां पर पंचायत घर है तो पंचायत घर पर आदेश की प्रति चिपकाकर नियम की अपेक्षाएं पूर्ण की जाएंगी; और

(ग) प्रश्नगत संपत्ति पर आदेश की प्रति चिपकाना और यदि उक्त संपत्ति भूमि है, तो आदेश की उद्घोषणा डोंडी पिटवाकर की जाएगी।

(9) धारा 12–क के अधीन सोना और चांदी का हस्तांतरण.––प्रत्येक हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास में सोना और चांदी की विभिन्न किस्मों के आकार में भक्तों की भेंट, जो कि अधिनियम की अनुसूची–1 में सम्मिलित है, को ऐसी रीति में जैसी सरकार की पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन मन्दिर न्यास द्वारा संस्तुत की जाए, हस्तान्तरित की जाएगी।

(10) वह रीति जिसमें धारा 14 (2) के अधीन जांच संचालित की जानी है.––मुख्य आयुक्त (मंदिर) न्यासी और उस व्यक्ति को जिसे सम्पत्ति हस्तांतरित की गई है को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करे। वह पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा और उन्हें सुनने के पश्चात् आदेश करेगा। मुख्य आयुक्त (मंदिर) सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हो सकेगा। मुख्य आयुक्त (मंदिर) की प्रत्येक आदेश की प्रति राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की जाएगी।

(11) धारा 19 (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी.––(1) मुख्य आयुक्त (मंदिर) अधिनियम की धारा 19 (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी होगा।

(2) धारा 19 (1) के अधीन आयुक्त (मंदिर) के आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य आयुक्त (मंदिर) को अपीलकर्ता या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से और अलग–अलग शीर्षकों के अधीन, अपील किए गए आदेश पर आपत्तियों का आधार बताया जाएगा और ऐसे आधार को क्रमांकित किया जाएगा। अपील मुख्य आयुक्त (मंदिर) को या तो पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) डाक या व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा,–

(क) आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है।

(ख) अपील के ज्ञापन की उतनी प्रतियां जितनी पक्षकारों को दी जानी अपेक्षित हैं, जिनके अधिकार या हित ऐसी अपील में पारित किसी भी आदेश से प्रभावित होंगे।

(12) धारा 22 के अधीन तैयार किए जाने वाले बजट का प्ररूप.––बजट को प्ररूप–'ई' में तैयार किया जाएगा और संपत्ति शेयर (हिस्सा), जमा, कर्मचारीवृन्द और कार्यों आदि के विवरण के साथ आय और व्यय का मदवार विवरण दिखाना होगा, जिससे आय प्राप्त होनी है और जिस पर व्यय उपगत किया जाना है, संलग्न किया जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो कि प्राक्कलन किस आधार पर तैयार किया गया है।

(13) धारा 34 (2) (ज) के अधीन आय और व्यय की विवरणी.––आय और व्यय की विवरणी ट्रस्टियों (न्यासियों) द्वारा आयुक्त (मंदिर) को प्रत्येक तिमाही में प्ररूप–'ङ' में दाखिल की जाएगी।

(14) धारा 22(2) ('ङ') और 34 (2) ('झ') के अधीन मंदिर भवनों की मुरम्मत.––(1) ऐसे समस्त मामलों में जहां मंदिर का भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है और इसे मुरम्मत की आवश्यकता है तो इसकी मुरम्मत भाषा और संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के परामर्श से की जाएगी।

(2) किसी भी हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और पूर्त विन्यास का न्यासी, भवन की मुरम्मत और नवीकरण और हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और पूर्त विन्यास की संपत्ति और परिसंपत्तियों के संरक्षण पर आयुक्त (मंदिर) द्वारा अनुमोदित बजट में आबंटित रकम व्यय करेगा।

(15) धारा 34(2) (ट) के अधीन मूर्तियों और प्रतिमाओं का संरक्षण और सुरक्षा.––किसी भी हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों और पूर्त विन्यास का न्यासी, मंदिरों में मूर्तियों और प्रतिमाओं के संरक्षण और सुरक्षा हेतु समय–समय पर आयुक्त (मन्दिर) द्वारा यथा निर्देशित समस्त आवश्यक उपाय करेगा।

(16) निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) अधिसूचना संख्या भाषा–ए(3)–3 / 85, तारीख 24–01–1986 द्वारा अधिसूचित और ई–राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 07–06–1986 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास नियम, 1984 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

————————

प्ररूप 'क' भाग–क

[नियम 4(1) देखें]
(वित्त वर्ष की समाप्ति पर विशिष्टियां)

संस्था का प्रारम्भ और इतिहास	भूतकाल और वर्तमान न्यासियों के नाम	न्यासी के पद के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में प्रथा और रूढ़ी, यदि कोई हो, की जानकारी के बारे विशिष्टयां	निम्नलिखित के बारे रिवाज तथा रूढ़ि
1	2	3	4
			(i) संस्था का प्रबन्ध (ii) न्यासी / प्रबन्धक की पदावधि। (iii) बारीदार (पुजारी) के निर्वाचन / चयन / नाम निर्देशन की बाबत शक्तियां और प्रक्रिया। (iv) बारीदारों का अंश (शेयर)

टिप्पण.––(1) इस प्ररूप को भरते समय न्यासी सर्वदा ऐसे स्त्रोतों को निर्दिष्ट करेगा जहां से जानकारी प्राप्त की गई है।

(2) यह रजिस्टर छः भागों में होना चाहिए।

प्ररूप 'क' भाग–ख

पूर्ववर्ती दस वर्षों (प्रतिवर्ष के हिसाब से) की कुल प्राक्कलित आय

1. वर्ष ————————————————————
2. वर्ष ————————————————————
3. वर्ष ————————————————————
4. वर्ष ————————————————————
5. वर्ष ————————————————————
6. वर्ष ————————————————————
7. वर्ष ————————————————————
8. वर्ष ————————————————————
9. वर्ष ————————————————————
10. वर्ष ————————————————————

————————

प्ररूप 'क' भाग–ग

प्रतिवर्ष के हिसाब से व्यय मापन

पिछले तीन वर्षों में (प्रतिवर्ष के हिसाब से) पूजा और देवता की पूजा से सम्बद्ध अन्य धार्मिक कृत्यों पर व्यय	शिक्षा संस्थाओं के अनुरक्षण की बाबत (प्रतिवर्ष के हिसाब से) पिछले तीन वर्षों में आवर्ती व्यय (प्रत्येक संस्था के लिए जानकारी पृथक रूप में दी जाएगी)	चिकित्सा संस्थाओं की बाबत पिछले तीन वर्षों में वार्षिक व्यय (प्रत्येक संस्था के लिए जानकारी पृथक रूप में दी जाएगी)	विद्यार्थियों के प्रशिक्षण पर हुआ वार्षिक व्यय पिछले तीन वर्षों के हिसाब से कुल वार्षिक व्यय (प्रतिवर्ष के हिसाब से) दिया जाए	पिछले तीन वर्षों में (प्रतिवर्ष के हिसाब से) धर्मशाला और सरायों पर हुआ व्यय (प्रत्येक धर्मशाला या सराय की बाबत व्यय पृथक रूप में दें)	धर्मशाला / शिक्षा संस्थाओं से भिन्न भवनों के नवीकरण या मुरम्मत पर पिछले तीन वर्ष में प्रतिवर्ष के हिसाब से हुआ व्यय	चलाई गई किसी अन्य संस्था में किए गए कार्यकलाप पर पिछले तीन वर्षों में (प्रतिवर्ष के हिसाब से) हुआ आवर्ती व्यय	[धारा 22.2 (छ) के अधीन] गोसदनों हेतु शुद्ध आय का 15 (पन्द्रह) प्रतिशत	अन्य (तीर्थ यात्रियों के लिए न्यास / जनसाधारण पुस्तकालय का अभिलेखागार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 'क' भाग घ

कर्मचारियों के नाम और सेवा का स्वरूप

कर्मचारियों का उनके माता–पिता के नाम सहित नाम और पदनाम	विनिर्दिष्ट किया जाए कि क्या नियोजन अंशकालिक या पूर्णकालिक है या आनुवंशिक या अन–आनुवंशिक है	वेतन	परिलब्धियां	कुल परिलब्धियां
1	2	3	4	5

प्ररूप 'क' भाग–ङ

जंगम सम्पत्ति

(i) निधियां:

हाथ का रोकड़	जमा						
	बैंकों / डाकघरों / अन्य संस्थाओं में चालू / बचत लेखा				बैंकों / डाकघरों / अन्य संस्थाओं में दीर्घ–कालिक जमा		
	ब्याज	लेखा संख्या और रकम	रकम	ब्याज	लेखा संख्या और रकम	जमा की अवधि	रकम

(ii) अन्य जंगम सम्पत्ति

क्रम संख्या	मद	विवरण	मात्रा		अनुपात सहित संघटक तत्व	प्राक्कलित वर्तमान मूल्य	(धारा 12–क के अधीन) अन्य संक्रामण के लिए बहुमूल्य धातु अपास्त करना
			संख्या	वजन			
1	2	3	4		5	6	7
1.	आभूषण						
2.	स्वर्ण						
3.	चान्दी						
4.	रत्न / बहुमूल्य रत्न						
5.	पात्र						
6.	बर्तन						
7.	अन्य जंगम सम्पत्ति जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है।						

प्ररूप 'क' भाग–च

ग्राम / नगर का नाम जहां स्थावर सम्पत्ति स्थित है	खतौनी संख्या खसरा संख्या	क्षेत्र	भू–राजस्व / किराया	विक्रय विलेख या अन्य दस्तावेजों के अनुसार अनुमानित मूल्य	प्रत्येक सम्पत्ति से वार्षिक आय (नवीनतम जमाबन्दी प्रमाण पत्र, विक्रय विलेख / दान लेख की प्रति लगाएं)
1. भवन और दुकानें: भवन / दुकान की विशिष्टियां					
1. अवस्थित					
2. खसरा संख्या					
3. भवन का विवरण					
4. भवन का नाम					
5. भवन की कुर्सी का क्षेत्र					
6. भवन का प्राक्कलित मूल्य					
7. भवन से वार्षिक आय					
2. पूर्ण विशिष्टियों सहित कोई अन्य सम्पत्ति:					
3. हक विलेख और दस्तावेजों का ब्यौरा:					

प्ररूप 'क' भाग–छ

मूर्ति का नाम	मूर्ति के संघटक तत्व	रंग चित्रों की प्रतिमाओं आदि का ब्यौरा	पुरातन या ऐतिहासिक अभिलेखों की विशिष्टियां उनकी संक्षिप्त विषय वस्तु सहित
1	2	3	4

टिप्पण:—मूर्ति और प्रतिमाओं के रंगीन फोटो चित्र एलबम में रखे जाने चाहिए जो रजिस्टर का एक अंग होगा।

प्ररूप 'क' भाग–ज

(अधिनियम की धारा –6, 17 एवं 22 तथा नियम 4)
बजट में पर्याप्त उपबन्धों के बनाए जाने हेतु

तत्समय प्रवृत्त व्यय मापन तथा रूढ़िक व्यय	संस्था तथा विन्यास पर आबद्धकार समस्त दायित्वों का सम्यक् उन्मोचन	धार्मिक, शैक्षिक तथा पूर्त प्रयोजनों पर व्यय संस्था के उद्देश्यों सहित असंगत नहीं है	धार्मिक संस्था के सिद्धान्तों के अनुसार धार्मिक अनुदेशों के प्रसार तथा प्रोत्साहन हेतु	हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम की सम्पत्तियों तथा आस्तियों के परिरक्षण तथा संरक्षण तथा भवनों की मुरम्मत और नवीकरण पर व्यय	धारा 17 के अधीन न्यासी द्वारा उपगत किए जाने वाले व्यय की रकम
क	ख	ग	घ	ङ	च

————————

प्ररूप 'ख'
[नियम 4 (2) देखें]

आयुक्त (मन्दिर).....हिमाचल प्रदेश का कार्यालय।

संख्या.....तारीख.....

अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (2) के अधीन सूचना

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सावर्जनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 प्रवृत्त हो गया है और उक्त अधिनियम आपकी संस्था.....को लागू होता है, और, हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 6 (1) के अधीन आपसे नियम 4 में यथाविहित रजिस्टर तैयार करने और रखने की अपेक्षा है;

अतः अब हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 6(2) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यासी / न्यासी के प्राधिकृत अभिकर्ता श्री..... पुत्र.....को अधिनियम के पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा रखे गये रजिस्टर को दो प्रतियों में इस सूचना की तारीख से तीन मास के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने की सूचना देता हूं। रजिस्टर सभी प्रकार से पूर्ण तथा न्यासी या उसके अभिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हो।

आयुक्त,
(उसकी स्टाम्प सहित)।

सेवा में,

.....

.....

.....

प्ररूप ''ग''

(नियम 7 देखें)

अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण, पट्टे पर देने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

आयुक्त ..... मण्डल,
हिमाचल प्रदेश।

..... डाकघर ..... जिला ..... के निवासी .....
(आवेदक) का आवेदन।

आवेदक निम्नलिखित रूप में दर्शित करता है किः––

(1) आवेदक ..... का न्यासी / प्राधिकृत अभिकर्ता है

(2) आवेदक निम्नलिखित सम्पत्ति की ..... (अन्तरण को रीति दें) द्वारा अन्तरित करना / पट्टे पर देना चाहता हैः–

कृषि भूमि	भवन	कोई अन्य सम्पत्ति
1.		
2.		
3.		

(3) उक्त सम्पत्ति से कुल वार्षिक आय.....रुपये है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता हैः–

1.
2.
3.

(4) आवेदक उक्त सम्पत्ति को.....(पूरा पता दें).....पुत्र.....
.....को निम्नलिखित कारणों से अन्तरित करना / पट्टे पर देना चाहता हैंः–

1.
2.
3.

(5) प्रतिफल की रकम.....रुपये है।

(6) यह सम्पत्ति रजिस्टर में दर्शाई गई है / नहीं दर्शाई गई है। सम्पत्ति की आय वर्ष.....बजट में दर्शाई गई है / नहीं दर्शाई गई है।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 6(2) के अधीन रखे गये रजिस्टर में सम्पत्ति के लोप के लिए यह कारण है कि .....
.....
सम्पत्ति की आय के लोप के लिए यह कारण है कि.....

अतः यह प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12 के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जाए।

तारीखः न्यासी या उसके प्राधिकारी अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप 'घ'

(नियम 12 देखें)

धार्मिक संस्था का नाम और स्थान.....वित्तीय वर्ष.....के लिए वार्षिक बजट.....

प्राक्कलित प्राप्तियां	प्राक्कलित संवितरण
1	2
रुपये पैसे	
1. आरम्भिक अतिशेष (i) हाथ का रोकड़ (ii) बैंक का रोकड़	1. प्राक्कलित संवितरण। (क) अनावर्ती–– (i) आस्तियां जैसे कि भवन, कुंओं और नहरों की मुख्य मुरम्मत और पुनर्निमाण और कृषि भूमि आदि को पहली बार खाद देना आदि। (ii) स्थावर सम्पत्तियों का नया क्रय, बहुमूल्य वस्तुएं और अन्य जंगम सम्पत्ति आदि के विनिधानों के लिए स्क्रिप। (iii) बैंकों और अन्य कम्पनियों में नियतकालिक जमा।
2. प्राक्कलित प्राप्तियां (क) अनावर्ती–– (i) संस्था या पूंजी उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए जाने वाले संदान। (ii) विनिर्दिष्ट या उद्विष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए जाने वाले संदान। (iii) साधारण संदान।	(ख) आवर्ती–– (i) किराए, दरें, कर और बीमा (ii) प्रशासनिक खर्चे (iii) कर्मचारीवृन्द को वेतन और परिलब्धियों का संदाय। (iv) अवक्षयण–निधि का अन्तरण। (v) भवनों, फर्नीचरों या अन्य आस्तियों की विशेष और चालू मुरम्मत।
(ख) आवर्ती–– (i) स्थावर सम्पत्ति पर किराया या पट्टा किराया। (ii) डिवेंचरों, प्रतिभूतियों, जमा आदि पर ब्याज (iii) शेयर आदि का लाभांश (iv) कृषि भूमि से आय (v) अन्य राजस्व प्राप्तियां	2. प्रकीर्ण व्यय जो उक्त मदों में नहीं आते हैं
3. आस्तियों के व्ययन से, जमा आदि का प्रतिसंदाय (क) शेयरों, प्रतिभूतियों आदि का विक्रय (ख) जमा प्रतिभूतियों ऋण आदि का प्रतिसंदाय (ग) आस्तियों का व्ययन (घ) अन्य	3. न्यास के उद्देश्यों पर हुए व्यय (प्रत्येक उद्देश्य का ब्यौरा दिया जाए)। (i) (ii) (iii)
	4. व्ययों पर प्राप्तियों का अधिशेष (i) नकदी या बैंकों में रखा जाने वाला (ii) आरक्षित निधि में अंतरित किया जाने वाला (iii) संस्था में जोड़ा जाने वाला (iv) अन्त अतिशेष (v) हाथ का रोकड़ .....रुपये (vi) बैंक में रोकड़ .....रुपये
जोड़ . .	**जोड़**. .

टिप्पण.–आय और व्यय की ऐसी सम्पत्ति, शेयर, जमा, कर्मचारीवृन्द और अन्य संकर्य आदि के विवरण सहित जिन से आय प्राप्त हो जानी है और जिन पर व्यय उपगत किया जाना है मद के अनुसार ब्यौरा संलग्न किया जाना चाहिए जिन से उन आधारों के बारे में स्पष्ट हो सके जिन पर प्राक्कलन तैयार किए गए हैं।

————————

प्ररूप "ङ"

(नियम 13 देखें)

.....का मन्दिर.....

.....को समाप्त होने वाला त्रैमास।

आय रु0 पैसे	व्यय रु0 पैसे
1. आरम्भिक अतिशेषः (क) नकदी (ख) चालू लेखा (ग) फसल आदि का मूल्य **जोड़. .** 2. भूमिः (क) फसल की प्राक्कलित मात्रा ..... (ख) भूमि से अन्य आय .....' भूमि से कुल आय ..... 3. किराया और फीसें : (क) मन्दिर के परिसरों में स्थित दुकानों से आय ..... **जोड़** . . 4. देवता को चढ़ावे : (क) नकद..... **जोड़**..... 5. सरकार से अनुदान और सहायता (यदि कोई हो) (क) नकद..... 6. जमा पर ब्याज यदि कोई हो..... **जोड़. .** **कुल जोड़. .** ..... का मन्दिर ग्राम / नगर ..... तारीख	1.(क) कर्मचारियों और सेवकों के वेतन..... (ख) यात्रा भत्ता..... (ग) आकस्मिकताएं..... **जोड़ . .** 2. साधारण दैनिक पूजा के लिए व्यय..... 3. त्यौहारों और धार्मिक क्रियाओं के लिए व्यय..... 4. (क) वैयक्तिक खेती और उद्यान कृषि के लिए व्यय ..... (ख) भूमि सुधार और मुरम्मत के लिए व्यय..... (ग) भवनों की मुरम्मत के लिए व्यय..... भूमि और भवनों की मुरम्मत के लिए कुल व्यय ..... 5. वादों और मामलों के प्रति व्यय ..... **जोड़** . . 6. (क) न्यासी / कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय..... (ख) विद्यालयों और पुस्तकालयों पर व्यय..... . (ग) प्रकीर्ण पूर्व व्यय..... **जोड़. .** 7. घरेलू पशुओं का अनुरक्षण..... **जोड़**. . 8. (क) भूमि का क्रय..... (ख) घरेलू पशुओं का क्रय..... **जोड़. .** **कुल जोड़. .** हस्ताक्षर न्यासी / पुजारी का नाम .....

आदेश द्वारा,

राकेश कंवर,
सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. LAC-A003/1/2023, dated 12-03-2024 as required under Clause (30 of Article 348 of the Constitution of India].

LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th March, 2024

No. LAC–A003/1/2023.—Whereas the draft Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Rules, 2023 were published in the Rajpatra, Himachal

Pradesh on 05th December, 2023 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby notified *vide* notification No. LCD-A(3)-2/2019-L, dated 22nd Nov., 2023 as required under sub section 1 of Section 34 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984;

And whereas no objection(s)/suggestion(s) has been received in this behalf during the stipulated period,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying the purposes of the aforesaid Act, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Rules, 2024.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.–(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984) as amended from time to time;

(b) " Form" means a Form appeared to these rules;

(c) "Rule" means a rule made under the Act; and

(d) "Section" means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Conditions of service of Officers and Staff appointed under Section 3.—(1) Additional Chief Commissioner (Temple) shall exercise the following powers and the functions, namely:—

(a) Act as a liaison officer between the Chief Commissioner (Temple) and the Temple Trusts;

(b) Conduct general inspection of the Trusts and report to the Chief Commissioner (Temple); and

(c) Prepare guidelines for such purposes as he deems fit or as desired by the Chief Commissioner (Temple) for the benefit of Scheduled temples and these guidelines shall be binding on all Commissioners (Temple).

(2) The Joint Commissioner (Temple) shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:—

(a) Exercise powers and perform functions as delegated by the Commissioner (Temple);

(b) Assist the Commissioner (Temple) in matters relating to Trusts; And

(c) Exercise financial powers as the Government may from time to time specify for maintenance of buildings, ways, paths, fire hydrants etc. in each case with the approval of Commissioner (Temple).

(3) The Assistant Commissioner (Temple) shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:—

(a) Act as a liaison officer between the Addl. Chief Commissioner (Temple) and the Commissioner (Temple)/Joint Commissioner (Temple) /Temple Officers/ Temple Trusts;

(b) To look after all religious and cultural aspects of Temple Trust(s);

(c) To assist in legal matters related to temple Trusts; And

(d) To assist in all Parliamentary and Assembly questions/matters of whatsoever nature.

4. Form and manner in which the registers are to be maintained under section 6(1) and notice to be served under section 6(2):

(1) Every Scheduled temple Trust shall prepare and maintain registers in Form 'A'(Part –A to H).

(2) The Commissioner (Temple) shall issue the notice under sub-section (2) of Section 6 in Form 'B' to have all entries in the registers in Form 'A' (Part – A to H) substantiated and verified.

5. Scrutiny and verification of the entries in the registers under section 7.–(1) The verified statement submitted to the Commissioner (Temple) under section7(1) shall be accompanied by,—

(i) An affidavit of the Trustee or his authorized agent to the effect that he has physically checked and verified the items as mentioned in the said document;

(ii) A declaration to the effect that all the title deeds and documents of the immovable property as mentioned in the register maintained under section 6 read with rule 4 are correct; and

(iii) Colour photographs and images of idols, particulars of ancient or historical records, or any other valuable items in his custody.

(2) In case of any variation in the contents as shown in the register and at the time of physical verification, the Trustee or his authorized agent shall inform the Commissioner (Temple) about the action taken by him as required under law.

(3) The verification shall start from the 1st of April and completed by 30th June every year. During the verification the Trustee or his authorized agent shall ensure that all the latest acquisitions have been incorporated in the register.

6. Action required under Section 9(1) in case of damage to or encroachment on the immovable property.—In case of any damage to or encroachment on the immovable property, the

Trustee or his authorized agent shall take all necessary steps required under law and shall also report the matter to Commissioner (Temple).

7. Application under section 12 seeking transfer of land.—The application seeking permission for transfer of immovable property belonging to, or given or endowed for the purposes of any Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowments by way of exchange, sale, mortgage or in any other manner whatsoever or for the lease of any such property shall be in Form 'C'.

8. Manner of the publication of the order of the Commissioner (Temple) under Section 12(3).—A copy of the order issued by the Commissioner (Temple) under Section 12(3) shall be sent to the Trustee concerned and the proposed alienation by registered post. It shall be also published by,—

(a) Affixture of the copy of the order in a conspicuous notice board or on the front door of the religious institution concerned;

(b) Affixture of the copy of the order in a conspicuous place of the village or town where the property is situated. In case there is a Panchayat-Ghar, the requirements of the rule will be met by affixture of the copy of the order on the Panchayat-Ghar; and

(c) Affixture of the copy of the order on the property in question and where the said property is land, then by proclamation of the order by beat of drum.

9. Alienation of Gold and Silver under section 12-A.—The offerings received from the devotees in the shape of various varieties of gold and silver in every Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowments, as included in the Schedule-I of the Act, shall be alienated in the manner, as may be recommended by the Temple Trust subject to the prior approval of the Government.

10. Manner in which the enquiry is to be conducted under section 14(2).—The Chief Commissioner (Temple) shall give a reasonable opportunity of being heard to the Trustee and the person to whom the property has been alienated. He shall afford the parties an opportunity to adduce evidence and make an order after hearing them. The Chief Commissioner (Temple) may not be bound to follow the procedure laid down in the Code of Civil Procedure and Indian Evidence Act. A copy of every order of the Chief Commissioner (Temple) shall be published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

11. Appellate authority under Section 19 (2).—(1) The Chief Commissioner (Temple) shall be the Appellate Authority under section19(2) of the Act.

(2) Every appeal to the Chief Commissioner (Temple) against the order of the Commissioner (Temple) under Section 19(1) shall be preferred in the form of a memorandum signed by the appellant or his pleader. The memorandum shall set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of objections to the order appealed and such grounds shall be numbered consecutively. The appeal shall be sent to the Chief Commissioner(Temple) either by registered post or presented in person or by a pleader and shall be accompanied by,—

(a) Certified copy of the orders against which appeal is filed; and

(b) As many copies of the memorandum of appeal as are required for service upon the parties whose rights or interest shall be affected by any order that may be passed in such appeals.

12. Form of budget to be prepared under Section 22.—The budget will be prepared in Form 'D' and the item wise details of income and expenditure with description of property, shares, deposits, staff and works etc. from which income is to be derived and on which expenditure is to be incurred should be attached so that it is clear as to the basis on which the estimates have been prepared.

13. Return of income and expenditure under Section 34(2)(h).—The return of income and expenditure shall be filed by the Trustees in Form -'E' every quarter to the Commissioner (Temple).

14. Repairs of temple buildings under Section 22(2)(e) and 34(2) (j).—(1) In all cases where the temple building is more than 100 years old and needs repair, it will be affected in consultation with the Department of Language and Culture, Himachal Pradesh.

(2) The Trustee of any Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowments shall spend the allocated amount in the budget approved by the Commissioner (Temple) on the repairs and renovation of the building and preservation and protection of the property and assets of the Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowments.

15. Preservation and security of idols and images under Section 34(2)(k).—The Trustee of any Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall take all necessary measures as directed by the Commissioner (Temple) from time to time, for the preservation and security of idols and images in temples.

16. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Rules, 1984 notified under notification No. Bhasha-A (3)-3/85, dated 24-1-1986 and published in the e-gazette Himachal Pradesh dated 15-06-1986 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been validity done, or taken under the corresponding provision of these rules.

FORM-'A' Part-A

[*See* rule 4(1)]

(PARTICULARS AT CLOSE OF CALENDAR YEAR)

Origin and history of the Institution	Name of the past and present trustees	Particulars as to the information of usage and customs if any, regarding succession to the office of the trustee	Customs and usage regarding following
1	2	3	4
			(i) Management of the Institution. (ii) Tenure of the Trustee/ manager.

			(iii) The powers and procedure regarding election/ selection/ nomination of the Baridars. (iv) The share of the Baridars.

Note:—(1) While filling up this form, the trustee shall invariably refer to the source from which the information has been obtained.

(2) This register should be in six parts.

FORM-'A' Part-B

TOTAL ESTIMATED INCOME FOR THE PRECEDING TEN YEARS (YEAR-WISE)

1. Year----------
2. Year----------
3. Year----------
4. Year----------
5. Year----------
6. Year----------
7. Year----------
8. Year----------
9. Year----------
10. Year----------

FORM-'A' Part-C

SCALE OF EXPENDITURE YEAR-WISE

Expenditure on performance or puja and other rituals relating to worship of deity for the last three years (year-wise)	Annual recurring expenditure for the last three years (Year-wise) relating to maintenance of the educational institutions (information in respect of each institution is to be given separately)	Annual expenditure for the last three years relating to medical institutions (information in respect of each institution may be given separately)	Annual expenditure on training of Vidyarathis indicate total annual expenditure for the last three years (year-wise)	Expenditure on Dharamshala and Sarais for the last three years (Year-wise) (please indicate expenditure in respect of each Dharamshala or Sarai separately)	Expenditure for the last 3 years (Year-wise) on repair and renovation of buildings (Other than Dharamshalas, educational institutions)	Recurring expenditure for the last three years (Year-wise) on any other institutions run or activity undertaken	15% of net income for Gausadans under Section 22.2(g)	Others (Archives of trust/Public Library for Pilgrims)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FORM-'A' Part-D

NAME OF THE EMPLOYEES AND THE NATURE OF SERVICE

Name and designation of the employees of the institution with parentage	Nature of Service (It may be specified whether the employment is part time or full time, hereditary or non-hereditary)	Salary	Perquisites	Total emoluments
1	2	3	4	5

FORM-'A' Part-E

MOVEABLE PROPERTY

(i) FUNDS:

Cash in hand	Deposits						
	Current/Saving Accounts in Banks/Post Offices/Other Institutions			Long term deposits in Banks/Post Offices/Other Institutions			
	Interest	Account No. and type	Amount	Interest	Account No. and type	Period of deposit	Amount

(ii) OTHER MOVEABLE PROPERTY:

Sl. No.	Item	Description	Quantity in		Constituent elements with proportions	Estimated present value	Precious metal set aside for Alienation (u/s 12-A).
			No.	Weight			
1	2	3	4		5	6	7
1. Jewellery 2. Gold 3. Silver 4. Jewels/precious							

5. 6. 7.	stones Vessels Utensils Other moveable property not specified above.						

FORM-'A' Part-F

AGRICULTURAL LAND

Name of village/town where the immovable property is situated	Khatauni No. Khasra No.	Area	LR/Rent	Approximate value as per sale deeds or other documents	Annual income from each property (Please paste a copy of the latest Jamabandi certificate/copy of sale deed/gift deed)
1. BUIDINGS AND SHOPS: Particulars of the building/shop: 1. Location 2. Khasra No. 3. Description of the building 4. Name of the building 5. Plinth area of the building 6. Estimated value of the building 7. Annual income from the building 2. any other property with full particulars 3. details of title deed and documents					

FORM-'A' Part-G

Name of the Idol	Constituent elements of the Idol	Details of images of paintings etc.	Particulars of ancient or historical records with their contents in brief
1	2	3	4

Note.—The coloured photographs of Idols and images should be kept in an Album which will form a part of the register.

FORM 'A' Part –H

(Rule 4 and section-6, 17 & 22 of Act)

Budget shall make adequate provisions for

Scale of Expenditure for the time being in force and customary expenditure	Due discharge of all liabilities binding on the institution and endowment	Expenditure on religious, educational and charitable purposes not inconsistent with the objects of the institution	For the encouragement and the spread of religious instructions according to the tenets of the religious institutions	Expenditure on the repair and renovations of the buildings and preservation and protection of the properties and assets of the HPRICE Act	The amount of expenditure that may be incurred by a trustee under section17
A	B	C	D	E	F

FORM 'B'

[*See* Rule 4(2)]

OFFICE OF THE COMMISSIONER (TEMPLE).....….....….....
HIMACHAL PRADESH

No. …… Dated …….

NOTICE UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 6 OF THE ACT

Whereas the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 has come into force,

Whereas the aforesaid Act applies to your institutions namely…….....

And whereas under section 6(1) of Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, you are required to prepare and maintain a register as prescribed under Rule 4.

Now in exercise of the powers conferred upon me under section 6(2) of Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984, I hereby serve notice on Shri…….s/o …….trustee/authorized agent of the trustee, to submit the register, in duplicate, maintained by him under the aforesaid provision of the Act, to the undersigned within 3 months from the date of this notice. The register should be complete in all respect duly signed by the trustee or his authorized agent.

Commissioner (Temple),
(with his stamp affixed)

To

……..……..

……..……..

FORM-'C'

(*See* Rule 7)

FORM OF APPLICATION SEEKING PERMISSION FOR TRANSFER/LEASE OF IMMOVABLE PROPERTY UNDER SECTION 12 OF THE ACT

To

The Commissioner,
…………………………..Division,

………………………….. , Himachal Pradesh.

Application of……………………………..resident of……………..Post ffice………………………
office…………..District …………………… The applicant showeth as follows:—

(1) That the applicant is the trustee/authorized agent of the …………………..............................

(2) That the applicant wants to transfer/lease the following property by……………………….....
(give the mode of transfer).

Agricultural land	*Buildings*	*Any other property*
1	....	....
2	....	....
3	....	....

(3) That the gross annual income from the abovesaid property comes to Rs. ………. the details of which are given below:—

1.……………….……………….………….

2.……………….……………….………….

3.……………….……………….………….

(4) That the applicant wants to transfer/lease the said property to Shri ..……………….. s/o ……………................ belonging to ………………........(full address) for the following reasons:—

1.………………….................................

2.………………….................................

3.………………….................................

(5) That the amount of consideration is……………………………

(6) That this property has/have not been reflected in the register. The income of the property has been/has not been reflected in budget for the year…………….. The reasons for omission of property in the register maintained under section 6(2) of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 is that …………………….

The reason for omission of the Income of the property is that…… It is, therefore, requested that permission under Section-12 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 may please be accorded.

……..
Signature of trustee or his
authorized agent

Date……..

FORM-'D'
(*See* Rule 12)

NAME AND LOCATION OF THE RELIGIOUS INSTITUTIONS ANNUAL BUDGET FOR THE FINANCIAL YEAR …….

Estimated Receipts	Estimated Disbursement
1	2
Rs. P.	Rs. P.
I. Opening Balance.– (i) Cash in hand (ii) Cash at Bank **II. Estimated Receipts–** (a) Non-Recurring– (i) Donations to be received towards Charitable Endowment or for capital objects. (ii) Ordinary donations to be received for specific or earmarked object(s). (iii) Ordinary donations (b) Recurring– (i) Rents, lease rents on immovable property (ii) Interest, on debentures, securities, deposits, etc. (iii) Dividends on shares, etc. (iv) Income from agricultural lands (v) Other revenue receipts **III. Realization from disposal of assets, repayment of deposits, etc.** (a) Sale of share, securities etc. (b) Repayment of deposits, securities, loans, etc.	**I. Estimated Disbursement–** (a) Non recurring– (i) Major repairs and rebuilding of the Assets, such as building, wells, canals, first manuring of agricultural lands, etc. (ii) New purchase of immovable properties, scripts for investments valuable and movables, etc. (iii) Fixed deposits with Banks and other Companies. (b) Recurring– (i) Rents, rates, taxes and Insurance (ii) Administration expenses (iii) Payment of salaries and requisites to the staff (iv) Transfer to Depreciation Fund (v) Special and current Repairs to building,furniture or other assets. **II. Miscellaneous expenses not covered by the items above.** **III. Expenses on the objects of the trust** (Details to be given for each object) (1) (2) (3) **IV. Surplus of receipts over expenditure–** (i) to be retained in cash or bank (ii) to be transferred to reserve fund (iii) to be added to Charitable endowment (iv) Closing balance (v) Cash in hand Rs…….. (vi) Cash at Bank Rs. …… Total. .

(c) Disposal of assets (d) Others. Total . .	

Note.—The item-wise details of income and expenditure with description of property, shares, deposits, staff and works etc., from which income is to be derived and on which expenditure is to be incurred should be attached to that it is clear as to the basis on which the estimates have been prepared.

FORM-"E"

RETURN OF INCOME AND EXPENDITURE

(*See* Rule 13)

Quarter ending................................. Temple of.........................

Income	Expenditure
Rs. P. **1. Opening Balance–** (a) Cash (b) Current account (c) Price of crop, etc.………………. Total .... **2. Land—** (a) Estimated quantity of crop (b) Other income from land ……….....… Total Income from land ……….....… **3. Rents and fees—** (a) Income from shops situated within the premises of the temple ……..………..… Total …..……….……………………. **4. Offerings to Deity—** (a) Cash ………………..… Total …..……………… **5. Grants and Aids from Government (if any)** **6. Interest on deposits, (if any)** ....…. Total …......……………………. …………………………… Grand Total …………………… Temple of .... Village/Town............................... Date..	Rs. P. 1. (a) Pay of employees and servants (b) Travelling allowance (c) Contingencies..........…… Total…………………….. 2. Expenditure for general daily worship 3. Expenditure for festivals and ceremonies 4. (a) Expenditure for personal cultivation and horticulture. (b) Expenditure for improvement and repair of lands. (c) Expenditure for repair of buildings…………….Total expenditure for repair of land and buildings .....…….. 5. Expenditure towards suits and cases………….. Total ....……………………………….….. 6. (a) Medical expenditure on trustee/employee (b) Expenditure on Schools and libraries (c) Miscellaneous charitable expenses… Total .... 7. Maintenance of domestic animals……………. Total…………………………………………… 8. (a) Purchase of Land………………………... (b) Purchase of domestic animals………… Total…………………………………….. Grand Total………………………….... Signature .... Name of Trustee/Pujari....................................

By order,

RAKESH KANWAR,
Secretary (LAC).

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 14 मार्च, 2024

संख्याः टी.पी.टी.एफ (2)–4 / 2019–VI.––तहसील श्री नैना देवी जी और सदर बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के बीस गांवों की 125–4 बीघा (9.42 हेक्टेयर) भूमि नामतः भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी, नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन (20.0 किलोमीटर से 52.0 किलोमीटर तक) के सन्निर्माण हेतु लोक प्रयोजन के लिए अर्जन करने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अधीन अधिसूचना संख्याः टी.पी.टी. –एफ(2)–4 / 2019–V, तारीख 01–03–2023 द्वारा घोषणा की गई है;

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर कलक्टर, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 25 के उपबन्धों के अधीन पंचाट देगा।

सी.डब्ल्यू.पी. नं0 4300 / 2023, नामतः विक्रम सिंह बनाम स्टेट ऑफ एच.पी. एण्ड अदर्स और सी.डब्ल्यू. पी. नं0 4829 / 2023, नामतः श्री मति कमलेश एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ एच.पी. एण्ड अदर्स में माननीय उच्च न्यायालय ने तारीख 04.07.2023 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य को निदेश दिया है कि भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने तारीख 11 / 12 / 2023 के निर्णय से उपरोक्त वर्णित सी.डब्ल्यू.पीज को खारिज कर दिया है।

माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सी.एम.पी. नं0 617 ऑफ 2024, एल.पी.ए. नं0 6 ऑफ 2024 नामतः श्री मति कमलेश एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ एच.पी. एण्ड अदर्स में तारीख 09 / 01 / 2024 द्वारा अपीलकर्ता के पंचाट की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना के अनुसार और मामला (केस) 18 / 03 / 2024 को सूचीबद्ध किया गया है।

अतः, उपरोक्त परिस्थितियों में, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 25 के उपबन्धों के अनुसार उपरोक्त पंचाट को बारह मास की अवधि के भीतर प्रसंस्करण नहीं किया जा सकेगा और पंचाट की घोषणा की अवधि को मामले के अंतिम परिणाम के अध्यधीन, तारीख 28 / 02 / 2024 से बारह मास की अवधि के लिए एतद्द्वारा बढ़ाया जाता है।

हस्ताक्षरित / –

(आर. डी. नजीम),
प्रधान सचिव (परिवहन)।

———————

[Authoritative English text of this department Notification No. TPT-F(2)-4/2019-VI dated 14-03-2024 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th March, 2024

No. TPT-F(2)-4/2019-VI.—Whereas, *vide* Notification No. TPT-F(2)-4/2019-V, dated 01.03.2023, declaration under section 19 of The Right to Fair Compensation and

Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has been made for acquisition of 125-4 bigha (9.42 hectares) land in 20 villages of Tehsil Shri Naina Deviji and Sadar, Bilaspur of District Bilaspur, Himachal Pradesh for public purpose, namely construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri, New Broad Gauge Railway line (from Km. 20.0 to Km. 52.0).

Whereas; under the provisions of Section 25 of the Act *ibid*, the Collector shall make an award within a period of twelve months from the date of publication of the declaration under section 19 of the Act *ibid*.

Whereas; in CWP No. 4300/2023, titled as Vikram Singh Vs. State of HP & ors. and CWP No. 4829/2023, titled as Smt. Kamlesh & ors. Vs. State of HP & ors., the Hon'ble High Court *vide* order dated 04.07.2023 have directed the State of H.P and others that proceedings under Land Acquisition Act shall not be finalized. The Hon'ble High Court *vide* judgment dated 11.12.2023 dismissed the CWPs (Supra).

Whereas; the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh *vide* order dated 09.01.2024 in CMP No. 617 of 2024 in LPA No. 6 of 2024, titled as Smt. Kamlesh and others V/s State of H.P. and others has passed interim directions, as prayed for by the appellants for staying the process of award and the case has been listed on 18.03.2024.

Therefore, in the above circumstances, the above award could not be processed within the period of twelve months as per provisions of Section 25 of the Act *ibid* and the period of declaration of award is hereby extended for a further period of twelve months *w.e.f.* 28.02.2024 subject to the final outcome of the above mentioned case.

Sd/-
(R.D. NAZEEM)
Principal Secretary (Transport).

निर्वाचन विभाग

38–एस. डी. ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला –171009

अधिसूचना

दिनांक, 7 मार्च, 2024

संख्या 3–16 / 2023–ई0एल0एन0.––संख्या 3–16 / 2023–ई0एल0एन0 भारत निर्वाचन आयोग के आदेश सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 52 / 2022 / सी.ई.एम.एस.–1 व सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 52 / 2022 / सी.ई. एम.एस.–1, दोनों दिनांक 1 मार्च, 2024, तदानुसार 11 फाल्गुन, 1945 (शक) जो कि हिमाचल प्रदेश के 52–दून विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों श्री बलवन्त सिंह तथा श्री स्वर्ण सिंह सैणी द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित घोषित करने के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

मनीष गर्ग,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांकः 1 मार्च, 2024

11 फाल्गुन, 1945 (शक)

सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 52 / 2022–सी.ई.एम.एस.–1.––यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0 **464 / हि0प्र0–वि0स0 / 2022**, **दिनांक 17 अक्तूबर, 2022** के अनुसरण में **52–दून** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2022 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हिमाचल प्रदेश **52–दून** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2022 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 07 जनवरी, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलन दिनांक 10–01–2023 के पत्र सं0 3–सोलन–3 / 2022–ई.एल.एन. / 78 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री बलवन्त सिंह,** जो हिमाचल प्रदेश के **52–दून** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2022 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (5) के अंतर्गत **श्री बलवन्त सिंह** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76 / हिमा0–वि0स0 / 52 / 2023 / सी.ई.एम.एस.–1, दिनांक 20 अप्रैल, 2023 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अंतर्गत **श्री बलवन्त सिंह**, को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी सोलन जिला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ने पत्र सं0 3–7 / 2023–ईएलएन–ईईएम–III–953, दिनांक 18 मई, 2023 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलन के पत्र सं. 3–सोलन–3 / 2023–ई.एल.एन.–884, दिनांक 10 मई, 2023 के द्वारा प्रस्तुत किया कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री बलवन्त सिंह,** को दिनांक 04–05–2023 को तामील किया गया था; और

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ने पत्र सं. 3–7 / 2022–ईएलएन–ईईएम–III दिनांक 20–12–2023 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलन की अनुपूरक रिपोर्ट सं. 3–सोलन–3 / 2023–ई.एल.एन.–2152, दिनांक 02–09–2023 अग्रेषित किया और बताया कि **श्री बलवन्त सिंह,** ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, **श्री बलवन्त सिंह,** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

'' यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति––

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐस व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।'';

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री बलवन्त सिंह,** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि हिमाचल प्रदेश के **52–दून** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री बलवन्त सिंह, गांव व डाकघर चण्डी, तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव।

सेवा में,
श्री बलवन्त सिंह,
गांव व डाकघर चण्डी,
तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

Dated: 1st March, 2024
11 Phalguna, 1945 (Saka)

No. 76/HP-LA/52/2022/CEMS-1.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Himachal Pradesh, 2022 for **52-Doon** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/HP-LA/2022, dated 17th October, 2022; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **52-Doon** Assembly Constituency of Himachal Pradesh, 2022 was declared by the Returning Officer on 08th December, 2022 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 07th January, 2023; and

WHEREAS, as per the report the District Election Officer, **Solan** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rule, 1961, received his letter No. 3-Solan-3/2022-ELN-78, dated10-01-2023 **Sh. Balwant Singh,** a contesting candidate from **52-Doon** Assembly Constituency of Himachal Pradesh, 2022 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Solan**, a Show-Cause notice No. **76/HP-LA/52/2023/CEMS-1, dated 20th April, 2023** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India **Sh. Balwant Singh,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Balwant Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Solan** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh, *vide* his letter No.3-7/2023-ELN-EEM-III-953, dated 18th May, 2023 District, enclosing the DEO, Solan letter No. 3-Solan/2023-ELN/884, dated 10th May, 2023 has reported that the said notice was served to **Sh. Balwant Singh,** on **04-05-2023**; and

WHEREAS, the CEO, Himachal Pradesh *vide* letter No. 3-7/2022-ELN-EEM-III, dated 20-12-2023 forwarded the District Election Officer, **Solan** Supplementary Report No. 3-Solan-3/2023-ELN-2152, dated 02-09-2023 and reported stated that **Sh. Balwant Singh** has not submitted any representation of a statement of correct account of election expenses duly signed alongwith original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Balwant Singh,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Balwant Singh,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Balwant Singh, Village & Post Office Chandi, Tehsil Krishangarh, Distt. Solan, Himachal Pradesh** and a contesting candidate in **52-Doon Assembly Constituency** of the State of Himachal Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By oder,

SUJEET KUMAR MISHRA,
Secretary.

To,

Sh. Balwant Singh,
Village & Post Office Chandi,
Tehsil Krishangarh, Distt. Solan,
Himachal Pradesh.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांकः 1 मार्च, 2024
11 फाल्गुन, 1945 (शक्)

सं0 76 / हिमा0–वि0स0 / 52 / 2022–सी.ई.एम.एस.–1.––यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की अधिसूचना सं0 **464 / हि0प्र0–वि0स0 / 2022**, **दिनांक 17 अक्तूबर, 2022** के अनुसरण में **52–दून** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2022 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हिमाचल प्रदेश **52–दून** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2022 का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 07 जनवरी, 2023 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलन दिनांक 10–01–2023 के पत्र सं. 3–सोलन–3 / 2022–ई.एल.एन. / 78 की रिपोर्ट के अनुसार

श्री स्वर्ण सिंह सैणी, जो हिमाचल प्रदेश के **52–दून** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2022 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (5) के अंतर्गत **श्री स्वर्ण सिंह सैणी** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76 / हिमा0–वि0स0 / 52 / 2023 / सी.ई.एम.एस.–1, दिनांक 20 अप्रैल, 2023 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अंतर्गत **श्री स्वर्ण सिंह सैणी**, को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी सोलन जिला को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ने पत्र सं. 3–7 / 2023–ईएलएन–ईईएम–III–953, दिनांक 18 मई, 2023 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलन के पत्र सं. 3–सोलन–3 / 2023–ई.एल.एन.–884, दिनांक 10 मई, 2023 के द्वारा प्रस्तुत किया कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री स्वर्ण सिंह सैणी,** को दिनांक 03–05–2023 को तामील किया गया था; और

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ने पत्र सं. 3–7 / 2022–ईएलएन–ईईएम–III, दिनांक 20–12–2023 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलन की अनुपूरक रिपोर्ट सं. 3–सोलन–3 / 2023–ई.एल.–एन.–2152, दिनांक 02–09–2023 अग्रेषित किया और बताया कि **श्री स्वर्ण सिंह सैणी,** ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरान्त, **श्री स्वर्ण सिंह सैणी,** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

'' यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति––

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।'';

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री स्वर्ण सिंह सैणी,** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि हिमाचल प्रदेश के **52–दून** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री स्वर्ण सिंह सैणी, गांव व डाकघर भुड, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र,
सचिव।

सेवा में,

श्री स्वर्ण सिंह सैणी,
गांव व डाकघर भुड,
तहसील बद्दी, जिला सोलन,
हिमाचल प्रदेश।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

Dated: 1st March, 2024
11 Phalguna, 1945 (Saka)

No. 76/HP-LA/52/2022/CEMS-1.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Himachal Pradesh, 2022 for **52-Doon** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/HP-LA/2022, dated 17th October, 2022; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **52-Doon** Assembly Constituency of Himachal Pradesh, 2022 was declared by the Returning Officer on 08th December, 2022 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 07th January, 2023; and

WHEREAS, as per the report the District Election Officer, **Solan** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rule, 1961, received his letter No. 3-Solan-3/2022-ELN-78, dated 10-01-2023 **Sh. Swarn Singh Saini,** a contesting candidate from **52-Doon** Assembly Constituency of Himachal Pradesh, 2022 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Solan**, a Show-Cause notice No. **76/HP-LA/52/2023/CEMS-1, dated 20th April, 2023** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India **Sh. Swarn Singh Saini,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Swarn Singh Saini** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Solan** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh, *vide* his letter No.3-7/2023-ELN-EEM-III-953, dated 18th May, 2023 District, enclosing the DEO, Solan letter

No. 3-Solan-/2023-ELN/884, dated 10th May, 2023 has reported that the said notice was served to **Sh. Swarn Singh Saini,** on **03-05-2023**; and

WHEREAS, the CEO, Himachal Pradesh *vide* letter No. 3-7/2022-ELN-EEM-III, dated 20-12-2023 forwarded the District Election Officer, **Solan** Supplementary Report No. 3-Solan-3/2023-ELN-2152, dated 02-09-2023 and reported stated that **Sh. Swarn Singh Saini** has not submitted any representation of a statement of correct account of election expenses duly signed alongwith original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Swarn Singh Saini,** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:—

"If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Swarn Singh Saini,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Swarn Singh Saini, Village & Post Office Bhud, Tehsil Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh** and a contesting candidate in **52-Doon Assembly Constituency** of the State of Himachal Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By oder,

SUJEET KUMAR MISHRA,
Secretary.

To,

Sh. Swarn Singh Saini,
Village & Post Office Bhud,
Tehsil Baddi, Distt. Solan,
Himachal Pradesh.

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 14 मार्च, 2024

संख्या : कूप–ए(3)–2 / 2020.––इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना, तारीख 26–12–2023 द्वारा हिमाचल प्रदेश कॉपरेटिव सोसाइटीज रूल्ज, 1971 प्रारूप को हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 109 के अधीन यथाअपेक्षित तद्धीन संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए तारीख 29–12–2023 को राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से इस निमित्त आक्षेप / सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

प्रारूप नियम

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कॉपरेटिव सोसाइटीज (अमैण्डमेन्ट) रूल्ज, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

रूल 56 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश कॉपरेटिव सोसाइटीज रूल्ज, 1971 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियम' कहा गया है) के रूल 56 के सब–रूलज (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(3) No Co-operative Society shall employ a salaried officer or servant with total monthly emoluments exceeding rupees 'fifteen thousand' without the previous permission of the Registrar:

Provided that if operating expenses of a co-operative society, excluding the amount of depreciation exceeds its income in a financial year, such society shall not employ any salaried officer or servant in the next succeeding financial year:

Provided further that no co-operative society shall employ salaried officer or servant exceeding the cadre strength, if any, fixed by the Registrar by a special or general order, and shall not fill more than ten vacancies in a financial year under this sub-rule without prior permission of the Registrar."

रूल 69 का संशोधन।

3. उक्त नियमों के रूल 69 में, –

(क) सब रूल (1), के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

" (1) Every society shall contribute to the 'Co-operative Education Fund', as provided in section 54 of the Act. Every Co-operative Society shall contribute to this fund at the rate of

rupees hundred or one percent of net profit of the year whichever is more but subject to a maximum of Rs. five lacs to be administered by the Himachal Pradesh Co-operative Development Federation (hereinafter mentioned as State Co-operative Development Federation) and in its absence by any other agency duly authorized by the Government in this behalf. Every Co-operative society shall also contribute at the rate of Rs. Two Hundred or 2% of its profit in a year whichever is more but subject to Rs. Ten Lac in Co-operative Education Fund to be administered at its own level. This fund shall be utilized by the Co-operative Society itself for co-operative education trainings in training institutes of Co-operation Department of State of Himachal Pradesh/Cooperative Banks/ Co-operative training Institutes of Government of India or through training/ exposure visit by any NGO registered in Himachal Pradesh for promotion/training of Co-operatives".

(ख) सब रूल (3), के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(3) No part of the Education Fund so administered by the State Co-operative Development Federation or in its absence by any other agency duly authorized by Government in this behalf shall be utilised till the permission of the Registrar is obtained, or regulations approved by him.

The rule provides for the constitution of a Co-operative Education Fund' which shall be administered by the Himachal Pradesh State Co-operative Development Federation or by any other agency in the absence of the former as well as by Co-operative Societies at their own level. The contribution to the fund shall be made by every registered society at the rate of Rs. 300/- or 3% of the net profits derived from the working in a given year subject to a maximum of Rs. 15 lakhs to be distributed between these institutions as per rule 69(1). The rule read with Section No. 54 of the Act, imposes a statutory obligation on every society for making contribution to this Fund. Out of 3% Co-operative education fund 1% shall be administered by Himachal Pradesh Co-operative Development Federation (hereinafter mentioned as State Co-operative Development Federation) and 2% by co-operative societies at their own level.

Any society desirous of contributing more than the maximum of 3% of profits may do so with the prior permission of the Registrar but this shall not in any way exceed 5% of the net profits of the year."

रूल 83-A का संशोधन।

4. उक्त नियमों के रूल 83-A में सब–रूल (1) के क्लॉज (बी) के

स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"a firm of more than one Chartered Accountants within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949."

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(सी0 पॉलरासु),
सचिव (सहकारिता)।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. Coop.-A(3)-2/2020 dated 14-03-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02 the 14th March, 2024

No. Coop.-A(3)-2/2020.— Whereas, the draft Himachal Pradesh Co-operative Societies Rules, 1971, were published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh on 29-12-2023 *vide* this department notification of even number dated 26-12-2023 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby, as required under section 109 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969);

And whereas, objection(s)/suggestion(s) have been received from the persons likely to be affected thereby within the specified period, which have been considered by the Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section 109 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

DRAFT RULES

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2024.

(2) It shall come into force from the date of their publication in the Rajpartra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Amendment of rule 56.

2. In the Himachal Pradesh Co-operative Societies Rules, 1971 (hereinafter referred to as the 'said rules'), for sub-rule (3) of rule 56, the following shall be substituted, namely:-

"(3) No Co-operative Society shall employ a salaried officer or servant with total monthly emoluments exceeding rupees 'fifteen thousand' without the previous permission of the Registrar:

Provided that if operating expenses of a co-operative society,

excluding the amount of depreciation exceeds its income in a financial year, such society shall not employ any salaried officer or servant in the next succeeding financial year:

Provided further that no co-operative society shall employ salaried officer or servant exceeding the cadre strength, if any, fixed by the Registrar by a special or general order, and shall not fill more than ten vacancies in a financial year under this sub-rule without prior permission of the Registrar.".

Amendment of rule 69.

3. In rule 69 of the said rules,-

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

" (1) Every society shall contribute to the 'Co-operative Education Fund', as provided in section 54 of the Act. Every Co-operative Society shall contribute to this fund at the rate of rupees hundred or one percent of net profit of the year whichever is more but subject to a maximum of Rs. Five lacs to be administered by the Himachal Pradesh Co-operative Development Federation (hereinafter mentioned as State Co-operative Development Federation) and in its absence by any other agency duly authorized by the Government in this behalf. Every Cooperative society shall also contribute at the rate of Rs. Two Hundred or 2% of its profit in a year whichever is more but subject to Rs. Ten Lac in Co-operative Education Fund to be administered at its own level. This fund shall be utilized by the Cooperative Society itself for co-operative education trainings in training institutes of Co-operation Department of State of Himachal Pradesh/Co-operative Banks/ Co-operative training Institutes of Government of India or through training/exposure visit by any NGO registered in Himachal Pradesh for promotion/training of Co-operatives.";

(b) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) No part of the Education Fund so administered by the State Co-operative Development Federation or in its absence by any other agency duly authorized by Government in this behalf shall be utilised till the permission of the Registrar is obtained, or regulations approved by him.

The rule provides for the constitution of a Co-operative Education Fund' which shall be administered by the Himachal Pradesh State Cooperative Development Federation or by any other agency in the absence of the former as well as by

Cooperative Societies at their own level. The contribution to the fund shall be made by every registered society at the rate of Rs. 300/- or 3% of the net profits derived from the working in a given year subject to a maximum of Rs. 15 lakhs to be distributed between these institutions as per rule 69(1). The rule read with Section No. 54 of the Act, imposes a statutory obligation on every society for making contribution to this Fund. Out of 3% Co-operative education fund 1% shall be administered by Himachal Pradesh Co-operative Development Federation (hereinafter mentioned as State Co-operative Development Federation) and 2% by co-operative societies at their own level.

Any society desirous of contributing more than the maximum of 3% of profits may do so with the prior permission of the Registrar but this shall not in any way exceed 5% of the net profits of the year.".

Amendment of rule 83A.

4. In rule 83A of the said rules, in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely :-

"a firm of more than one Chartered Accountants within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949.".

By order,
Sd/-
(C. PAUL RASU),
Secretary (Co-operation).

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्री मेला राम पुत्र स्व0 श्री केवल राम, निवासी ग्राम नामाणा, डा0 धुण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत धुण्ड, विकास खण्ड ठियोग .. प्रतिवादी।

विषय.––मृत्यु तिथि प्रविष्ट बारा।

इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 190, दिनांक 11–01–2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0 / जन्म एवं मृत्यु / एस0टी0 / 2024–1–190, दिनांक 11–01–2024, (2) शपथ–पत्र आवेदक, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह, (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) वार्ड मैंबर रिपोर्ट जिसमें आवेदन श्री मेला राम पुत्र स्व0 श्री केवल राम, निवासी ग्राम नामाणा, डा0 धुण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की माता श्रीमती कौला पत्नी केवल राम, ग्राम पंचायत धुण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत

अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की माता श्रीमती कौला पत्नी स्व0 श्री केवल राम, ग्राम नामाणा, डा0 धुण्ड की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि वार्ड मैंबर रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 11–01–2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती कौला पत्नी केवल राम, ग्राम पंचायत धुण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि 06–07–2010 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की माता श्रीमती कौला पत्नी केवल राम, ग्राम पंचायत धुण्ड, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव धुण्ड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14–02–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्रीमती कमला देवी पुत्री दिला राम, निवासी बासा ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बासा ठियोग, विकास खण्ड ठियोग .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट बारा।

इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 642, दिनांक 08–02–2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच0एफ0एल0 / जन्म एवं मृत्यु / एस0टी0 / 2024–2–642, दिनांक 08–02–2024, (2) शपथ–पत्र आवेदिका, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ–पत्र श्री सीता राम पुत्र चोवा, निवासी खनीवडी व शपथ–पत्र श्री बखीर चन्द पुत्र स्व0 श्री दरिया राम, वासी ग्राम अणु, डा0 कथोग रिपोर्ट जिसमें आवेदिका श्रीमती कमला देवी पुत्री दिला राम, निवासी बासा ठियोग, डा0 जैस, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती कमला देवी पुत्री दिला राम, निवासी बासा ठियोग, डा0 जैस, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम व जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 08–02–2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमला देवी पुत्री दिला राम, निवासी बासा ठियोग, डा0 जैस, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15–09–1959 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से

सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती कमला देवी पुत्री दिला राम, निवासी बासा ठियोग, डा0 जैस, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0) की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव बासा ठियोग को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26–02–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

**In the Court of Sh. Jagdish Sharma, Naib Tehsildar Shimla (R),
District Shimla (H.P.)**

Smt. Neema Devi d/o Hukmi Ram & w/o Sh. Med Ram, r/o Village Taprog, P.O. Pahal, Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas Smt. Neema Devi d/o Hukmi Ram & w/o Sh. Med Ram, r/o Village Taprog, P.O. Pahal, Sub-Tehsil Dhami, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself name— Neema Devi in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Moolbari, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Neema Devi	Self	16-12-1971

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Moolbari, Shimla (H.P.), may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 06-03-2024 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-
Naib Tehsildar,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Sudha Puri d/o Late Sh. Dharam Pal Puri, r/o Strawberry Hills, Block-F, Flat No. 9, Chotta Shimla, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Sudha Puri d/o Late Sh. Dharam Pal Puri, r/o Strawberry Hills, Block-F, Flat No. 9, Chotta Shimla, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her father namely DHARAM PAL PURI (DOD-19-04-2018) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 6th March, 2024.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री बलबिंदर सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी अकालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलबिंदर सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी अकालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपना जन्म / मृत्यु तिथि 03–03–1967 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र

भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवपुर में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म/मृत्यु तिथि 03–03–1967 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री बलबिंदर सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी अकालगढ़ की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22–03–2024 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री बलबिंदर सिंह की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22–02–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

श्री टोनी पुत्र श्री सुमेर चन्द, निवासी भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)
.. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री टोनी पुत्र श्री सुमेर चन्द, निवासी भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपना जन्म/मृत्यु तिथि 07–06–1995 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटावाली में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म/मृत्यु तिथि 03–03–1967 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री टोनी पुत्र श्री सुमेर चन्द, निवासी भाटावाली की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26–03–2024 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री टोनी की जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26–02–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री सहिद हुसैन पुत्र श्री खलील, निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ..वादी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सहिद हुसैन पुत्र श्री खलील, निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपना जन्म / मृत्यु तिथि 05–02–1978 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत मिश्रवाला में अपनी ऊपर वर्णित स्वयं की जन्म / मृत्यु तिथि 05–02–1978 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री सहिद हुसैन पुत्र श्री खलील, निवासी मिश्रवाला की जन्म / मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 01–04–2024 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री सहिद हुसैन की जन्म / मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 01–03–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

––––––––

नाम परिवर्तन

मैं, बलदेव सिंह (43) पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी 40 / 2, चहारोल (278), बिलासपुर, हि0प्र0–174001, आधार कार्ड नम्बर (9612 8427 2306) हल्फन ब्यान करता हूं कि मेरे पुत्र नमन कुमार के स्कूल सर्टिफिकेट में मेरा नाम बलदेव लिखा गया है जबकि पैन कार्ड, आधार कार्ड व दसवीं क्लास की मार्क शीट के मुताबिक मेरा नाम बलदेव सिंह है। मैं हल्फन ब्यान करता हूं कि भविष्य में बलदेव सिंह व बलदेव को एक ही व्यक्ति समझा जाए। सम्बंधित नोट करें।

बलदेव सिंह,
पुत्र श्री रोशन लाल,
निवासी 40 / 2, चहारोल (278),
बिलासपुर, हि0प्र0–174001.

नाम परिवर्तन

मैं, लता कुमारी (39) पत्नी श्री बलदेव सिंह, गांव साई कन्नैतां, डाकघर चहरोल, तहसील सदर जिला बिलासपुर, हि0प्र0–174001, आधार कार्ड नम्बर (4860 5138 6025) हल्फन ब्यान करती हूं कि मेरे पुत्र नमन कुमार के स्कूल सर्टिफिकेट में मेरा नाम लता देवी लिखा गया है जबकि पैन कार्ड, आधार कार्ड व दसवीं क्लास की मार्क शीट के मुताबिक मेरा नाम लता कुमारी है। मैं हल्फन ब्यान करती हूं कि भविष्य में लता देवी व लता कुमारी को एक ही व्यक्ति समझा जाए। सम्बंधित नोट करें।

लता कुमारी,
पत्नी श्री बलदेव सिंह,
गांव साई कन्नैता, डाकघर चहरोल,
तहसील सदर जिला बिलासपुर, हि0प्र0–174001

———————

CHANGE OF NAME

I, Vidya (72) w/o Late Keshav Ram, r/o Village Khanir, P.O. Mashobra, Tehsil & District Shimla, H.P. declare that my name is erroneously recorded as Vimla in my Aadhar Card which is required to be corrected as Vidya.

VIDYA
w/o Late Keshav Ram,
r/o Village Khanir, P.O. Mashobra,
Tehsil & District Shimla, H.P.

———————

CHANGE OF NAME

I, Lata Devi w/o Prakash Chand, r/o Village Neri-Kalan, P.O. Sultanpur, Tehsil and District Solan (H.P.) have changed my name from Lata Devi to Hem Lata

LATA DEVI,
w/o Prakash Chand,
r/o Village Neri-Kalan, P.O. Sultanpur,
Tehsil and District Solan (H.P.)

———————

CHANGE OF NAME

I, Arindham Sharma (18) s/o Bodh Raj, r/o V.P.O. Chanour, Tehsil Indora, District Kangra, H.P. declare that I have changed my name from Arindham to Arindham Sharma. All concerned note.

ARINDHAM SHARMA,
s/o Bodh Raj,
r/o V.P.O. Chanour,
Tehsil Indora, District Kangra, H.P.

नाम परिवर्तन

मैं, अपूर्व शर्मा पुत्र श्री विनोद शर्मा, निवासी गांव सुसनाल, डाकघर बरोटा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174027 घोषणा करता हूं कि मेरे स्कूल रिकार्ड में मेरी मां का नाम गलती से सविता शर्मा लिखा गया है जबकि उनका सही नाम कुमारी सविता है।

अपूर्व शर्मा,
पुत्र श्री विनोद शर्मा,
निवासी गांव सुसनाल, डाकघर बरोटा,
तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174027

———————

CHANGE OF NAME

I, Kuldeep Kumar s/o Brij Lal, r/o Village Burli Kothi, P.O. Paprola, Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.) declare that in my daughter Ishita Prasher's 10th and 10+2 CBSE certificates my name and my wife Sunita Devi's name is wrongly entered as Kuldeep Prasher and Sunita Prasher which needs to be corrected.

KULDEEP KUMAR
s/o Brij Lal,
r/o Village Burli Kothi, P.O. Paprola,
Tehsil Baijnath, District Kangra (H.P.).

———————

CHANGE OF NAME

I, Ruksana w/o Sh. Omkar Sharma, r/o House No. 313/3, Ward No. 12, Mohalla Chiranwali, Nahan, District Sirmaur, H.P. declare that after my marriage I had changed my name from Ruksana to Nandini Sharma. All concerned please note.

RUKSANA
w/o Sh. Omkar Sharma,
r/o House No. 313/3, Ward No. 12,
Mohalla Chiranwali, Nahan, District Sirmaur, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।